में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है जिन बैंकों के विदेशी परिचालन है क्योंकि विदेशी परिसंपत्तियों का अधिकांश भाग भी निष्क्रिय हो रहा है। कानूनी प्रणाली के माध्यम से कारगर वसूली में विलम्ब के कारण भी बैंकों को हानियां उठानी पड़ती हैं।

बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने की दृष्टि से आर बी आई ने कई कदम उठाये हैं। बैंकों से कहा गया है कि कई मुख्य क्षेत्रों में सुधार लाने के लिये वे कार्य योजना तैयार करें। इनमें से कुछ ये हैं:—

1. संगठनात्मक ढांचे में सुधार।

2. चयनात्मक क्षेत्रों में मशीनरीकरण और कर्मचारियों को सीमित रखने सहित उत्पादकता के स्तरों में सुधार करना।

3. मानव संसाधन विकास।

4. हाऊस कीपिंग और आंतरिक नियंत्रण में सुधार।

5. ऋण मूल्यांकन मानीटरिंग में सुधार और ऋण प्रशासन में सामान्य रूप से सुधार।

6. कारगर वसूली उपाय।

7. सतर्कता तंत्र को मजबूत बनाना और चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना।

8. लाभ योजना और लाभ के स्तरों में सुधार।

जहां तक फिजूल खर्च का संबंध है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे पी ओ एल, फर्नीचर, मनोरंजन, यात्रा भत्ते आदि पर कम खर्च करें।

(च) और (छ) बैंककारी विनियमन अधिनियम की शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक बैंक की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन भी करता है।

53. *[Transferrea to 3rd March, 1994.]*

54. *[Transferred to 3rd March, 1994.]*

Investigations into Misuse of Plastic and Chemical Material

55. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the central revenue intelligence and enforcement officers have investigated into misuse of the value-based advance licencing scheme to import duty free plastic and chemical materials and their sale in the domestic markets out at high premium;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what are the steps taken to prevent such fictitious exports?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) A few such cases were investigated by Directorate of Revenue Intelligence. A list of the said cases is enclosed at Statement (*See* bleow).

(c) Government is aware of fictitous exports, under value based advance licencing scheme and steps are being taken to curb this menace. The steps include strengthening of intelligence wing of the enforcement agencies.

Statement

The cases Detected by DRI Involving Misuse of Value Based Advance Licencing Scheme to Import Duty Free Plastics and Chemicals

Bombay Zonal Unit

I. M/s Dimple Overseas has exported 60 MTs of Polyethylene Newar/ Straps at a declared value of US $ 30 lakhs equivalent to Rs. 8,59,72,200/- as against actual value of goods of Rs. 45,08,625/-

II. M/s Manish Corporation, holder of value based advance licence had imported 38.9 MT of Nylon moulding powder valued at Rs. 27,10,950/- and diverted the same in open market. Out of it, 9.625 MT

value at Rs. 15.40 lakhs has been seized by DRI. M/s Manish Corporation has obtained the aforesaid licence by declaring M/s Harshit Plast Enterprises, Ahmedabad Manufacturer without their consent and knowledge. M/s Manish Corpn. have not made any export against the said licence.

Madras Zonal Unit

1. 32 MTs. of HDPE Granules imported by M/s 20th Century Hitech Pvt. Ltd. New Delhi through Bombay Harbour under DEEC scheme but diverted to domestic market unauthorisedly, has been seized by DRI Hyderabad.
2. 1225 Kgs. of Formic Acid imported by M/s Bucca Leather Exports, Madras under DEEC scheme but diverted to local market for consideration has been seized and show cause notice has been issued.
3. 2988.73 MT of Borax imported by M/s Borax India Ltd., Pondicherry, and their sister concerns M/s Akshay Industries, Pondicherry and, M/s Ram Agro Chemicals, Madras under DEEC scheme has been seized for gross under-valuation. The case is under investigation.

विदेशी ऋण की राशि

56. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार देश पर विदेशी कर्ज कितना था, जिसका ब्याज सहित भुगतान किया जाना है और यह ऋण किन-किन देशों से प्राप्त किया गया था; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान देश को विदेशी वित्तीय सहायता की ऐसी कितनी धनराशि प्राप्त हुई, जिसे लौटाया नहीं जायेगा और यह वित्तीय सहायता किन-किन देशों से प्राप्त की गई थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र०सं०	देश/संस्था	बकाया विदेशी ऋण	1992-93 के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता (अनुदान)
क.	सरकारी खाता		
	बहुपक्षीय		
1.	एशियाई विकास बैंक	2762.97	
2.	आई०बी०आर०डी०	21580.36	
3.	आई०डी०ए०	25352.42	
4.	आई०डी०ए०	22339.22	
5.	आई०एफ०ए०डी०	610.82	
6.	ओपेक	253.97	
	द्विपक्षीय		
7.	आबू धाबी	9.45	
8.	आस्ट्रेलिया	7.11	
9.	आस्ट्रिया	176.20	
10.	बेल्जियम	297.30	
11.	कनाडा	1448.48	25.86